

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
पीठारसीन अधिकारी :- श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :- 43/2025

तारीख दायर :- 26.08.2025
तारीख फैसला :- 13.03.2026


1. श्री उंकारलाल पिता देवा कुम्हार(प्रजापति) निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भेरूलाल पुत्र लालु डांगी, निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती टांकुबाई पत्नी स्व० लालु डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमती अनुबाई पुत्र लालु डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री खेमा पुत्र गांगा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. श्री देवीलाल पुत्र गांगा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
6. श्री लालुराम पुत्र गांगा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
7. श्री हिरालाल पुत्र गांगा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
8. श्री नोजीलाल पुत्र मन्ना डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
9. श्री रतनलाल पुत्र मन्ना डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
10. श्रीमती बगदी पुत्री मन्ना डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
11. श्रीमती हुडीबाई पुत्री मन्ना डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
12. श्री उदयलाल पुत्र खेता डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
13. श्री कन्हैया पुत्र पुंजा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
14. श्री केशुराम पुत्र देवा डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
15. श्री जगदीश पुत्र शंकर डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
16. श्री दलीचन्द पुत्र लुणीराम चौधरी डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
17. श्री नंगा पुत्र डांया डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
18. श्री वेला पुत्र डांया डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
19. श्री कमलाबाई पत्नी रामचन्द्र चौधरी डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
20. श्रीमती भागुबाई पत्नी नारायण डांगी निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
21. श्री रामचन्द्र पुत्र गमेरा कलाल निवासी बलीचा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब लसाडिया जिला सलुम्बर।

.....अप्रार्थीगण


उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति - वादी की ओर से - अधिवक्ता श्री मुकेश चौविसा

प्रतिवादी की ओर से - अनुपस्थित

:—निर्णय—:

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खाता संख्या नया 13 पुराना 12 के आराजी संख्या 702/2 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.0540 हैक्टेयर भूमि राजस्व ग्राम बलीचा पटवार हल्का कालीभीत भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत, तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थी ने अपनी सीमा जानकारी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण प्रार्थी की सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थी व अप्रार्थीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है, इसलिये अप्रार्थीगण जबरदस्ती प्रार्थी की सीमाओं में घुसकर अतिक्रमण करने पर उतारू हैं, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर अप्रार्थीगण व प्रार्थी के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाईं झगडा करने पर आमदा है व प्रार्थी के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। अप्रार्थीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थी की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते हैं व प्रार्थी की फसल व घास का नुकसान करते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम बलीचा, ग्राम पंचायत बलीचा पटवार हल्का बलीचा के खाता संख्या नया 13 पुराना 12 के आराजी संख्या 702/2 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी (तहसीलदार) को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। प्रकरण में तहसीलदार लसाडिया का जवाब तलब किया जवाब में तहसीलदार लसाडिया द्वारा पत्थरगढी की अनुशंषा के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से त्वरित सुनवाई बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में वही कथन कहे हैं जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की की बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते हैं। प्रार्थी वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। व पूर्व में सीमाजानकारी के दौरान मौके पर विवाद होने से सीमाजानकारी पूर्ण नहीं हो सकी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम बलीचा पटवार क्षेत्र बलीचा भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र कालीभीत की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता संख्या नया 13 पुराना 12 के आराजी संख्या 702/2 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, भूमि की मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रोली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थी की रहेगी भूमि की दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर 12

लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी फीस 1000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिनेश अरौरा RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर / राज.